फार्म — 'जी'

फॉर्च्यून एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली में सामान्य निर्माण कार्य — जिसमें गैर–आवासीय भवनों में परिवर्तन,मरम्मत और रखरखाव शामिल हैं — करती है के संबंध में अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क के उप–विनियम (1) के अधीन)

क्र. सं.	प्रासंगिक विवरण	
1	कार्पोरेट देनदार का नाम पैन एवं सीआईएन/एलएलपी नंबर सहित	फॉर्च्यून एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड सीआईएन : U45202GJ2008PTC055380 पैन : AABCF2956N
2	पंजीकृत कार्यालय का पता	बी 37/2/2, पांचवीं मंजिल, अजंता कमर्शियल सेंटर, आयकर चौराहा, आश्रम रोड, आश्रम रोड डाकघर, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर, गुजरात, भारत, 380009
3	वेबसाइट का यूआरएल	N.A
4	स्थान का विवरण, जहां अधिकांश अचल आस्तियां उपस्थित हैं	प्लॉट नंबर 1, बी–2, टिबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर 10, रोहिणी, नई दिल्ली – 110085
5	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	N.A
6	पिछले वित्तीय वर्ष में प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की प्रमात्रा और मूल्य	N.A
7	कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या	एक कर्मचारी – पूर्व मैनेजमेंट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।
8	अतिरिक्त विवरण, दो वर्षों हेतु अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों सहित), लेनदारों की सूचियां यूआरएल पर उपलब्ध है	यूआरएल : http://arck.in, वाद सूची के तहत "फॉर्च्यून एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड"
9	संहिता की धारा 25(2)(एव) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु योग्यता यूआरएल पर उपलब्ध है	**कैटेगरी 'ए' – उन पीआरए'ज के लिए जो कॉर्पोरेट – प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट चाहे भारत में निगमित हों या भारत के बाहर/व्यक्तिगत निवेशक/व्यक्तिगत निवेशकों का संघ, एचयूएफ'स, फैमिली ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म हैं :** कॉर्पोरेट्स के लिए : लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर, तत्काल पूर्ववर्ती समाप्त वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2025 से पहले नहीं) में न्यूनतम एकल शुद्ध मूल्य (एनडब्ल्यू) 25 करोड़ रुपये अथवा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर, तत्काल पूर्ववर्ती समाप्त वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2025 से पहले नहीं) में समूह स्तर पर न्यूनतम प्रत्यक्ष शुद्ध लाभ ("टीएलडब्ल्यू") 25 करोड़ रुपये। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए: लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर, अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणीकृत, तत्काल पूर्ववर्ती समाप्त वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2025 से पहले नहीं) में व्यक्तिगत स्तर/व्यक्तिगत संघ स्तर पर न्यूनतम समेकित शुद्ध मूल्य आईएनआर 25 करोड़। **कैटेगरी 'बी' – उन पीआरए'ज के लिए जो वित्तीय निवेशक – बैंक, नॉन–बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी), एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, सॉवरेन फंड, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट कंपनी तथा/अथवा संस्था (घरेलू या विदेशी संस्थानिक/पोर्टफोलियो निवेशक सहित) और इसी तरह की संस्था हैं :** लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर, तत्काल पूर्ववर्ती समाप्त वित्तीय वर्ष (31 मार्च 2025 से पहले नहीं) में अथवा ईओआई जमा करने की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि को कम से कम आईएनआर 100 करोड़ के प्रबंधनाधीन न्यूनतम आस्तियां ("एयूएम") अथवा नियोजित फंड, या वादाकृत फंड ("कमिटेड फंड") जो ईओआई जमा करने की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि को न्यूनतम आईएनआर 100 करोड़ की भारतीय कंपनियों अथवा भारतीय आस्तियों में निवेश/नियोजन के लिए उपलब्ध हैं। समाधान आवेदक, दिवाला और ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 29 ए के तहत योग्य होना चाहिए।
10	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	25th मई, 2026
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	04th जून, 2026
12	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	09th जून, 2026
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	11th जून, 2026
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	12th जून, 2026
15	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	13th जुलाई, 2026
16	अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रोसेस ई–मेल आई डी	ibc.fortuneassets@gmail.com, insolvency@arck.in
17	कार्पोरेट देनदार के एमएसएमई के रूप में पंजीकरण की स्थिति का विवरण	N.A

हस्त/–
अनिल कोहली,
आईपी के रूप में पंजिकृत आईपीई के नामित पार्टनर एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
एआरसीके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी,
जो कि मेसर्स फॉर्च्यून एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत है।
पंजीकरण संख्या: **IBBI/IPE-0030/IPA-1/2022-23/50013**
एएफए वैधता: 31.12.2026 तक
409, अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग (कनॉट प्लेस), नई दिल्ली – 110001
फोन न.: **011-40078344, 45101111**
ईमेल: **ibc.fortuneassets@gmail.com, insolvency@arck.in**

दिनांक: 9 मई, 2026
स्थानः नई दिल्ली

जंगल कैम्प्स इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में पेंच जंगल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
(CIN: L55101DL2002PLC116282)
ईमेल आईडी: finance@junglecampsindia.com
संपर्क: +91 9999 775000 | +91 9999 742000 | +91 11 4174 9354
वेबसाइट: www.junglecampsindia.com

डाक मतपत्र सूचना एवं ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स जंगल कैम्प्स इंडिया लिमिटेड (पूर्व में पेंच जंगल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ("कंपनी") डाक मतपत्र सहित ई-वोटिंग के माध्यम से निम्नलिखित विशेष व्यवसाय एवं विशेष प्रस्ताव पर कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है।

प्रॉस्पेक्टस में परिवर्तन पर विचार एवं अनुमोदन करें

पोस्टल बैलेट सूचना ('सूचना') कंपनी की वेबसाइट https://junglecampsindia.com/postal-ballot/ पर, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("CDSL") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE SME लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bsesme.com/ पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110, धारा 108 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, [जिसमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन को सम्मिलित किया गया है], तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 ("SS-2") के अनुसार तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("MCA") द्वारा ई-वोटिंग के माध्यम से सामान्य सभा/डाक मतपत्र प्रक्रिया आयोजित करने हेतु जारी परिपत्रों, जिनमें परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 तथा इस संबंध में जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र, जिसमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 सम्मिलित है (सामूहिक रूप से "MCA Circulars"), के अनुपालन में, कंपनी अपने सभी सदस्यों को इस नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।

कंपनी ने शुक्रवार, 08 मई 2026 को उन सदस्यों को यह नोटिस प्रेषित कर दिया है, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("DP") से प्राप्त लाभकारी स्वामियों की सूची तथा स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("RTA") के अभिलेखों में गुरुवार, 07 मई 2026 ("कट-ऑफ तिथि") तक उपलब्ध हैं एवं जिनके ई-मेल पते कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु CDSL की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 10 मई 2026 प्रातः 09:00 बजे (IST) से प्रारंभ होकर सोमवार, 08 जून 2026 सायं 05:00 बजे (IST) तक रहेगी। इसके पश्चात CDSL द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद कर दी जाएगी तथा सदस्यों को उक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे सोमवार, 08 जून 2026 सायं 05:00 बजे (IST) तक रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना समर्थन (FOR) अथवा विरोध (AGAINST) दर्ज करें।

इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि तक भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकेंगे। सदस्यों के मतदान अधिकार, कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के पश्चात उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। केवल वही सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा संधारित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

सदस्यों को यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त हो सके, इसके लिए कंपनी ने MCA Circulars के अनुसार RTA के साथ विशेष व्यवस्था की है। वे पात्र सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता RTA के साथ पंजीकृत नहीं कराया है, वे सोमवार, 08 जून 2026 तक अपना ई-मेल पता RTA को उपलब्ध कराएं, जिसके आधार पर CDSL सदस्य को नोटिस की प्रति उपलब्ध कराएगा। RTA के साथ ई-मेल पंजीकरण की प्रक्रिया तथा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया नोटिस में प्रदान की गई है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री शिवम अग्रवाल, मेसर्स शिवम अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या 49447) को डाक मतपत्र प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच (Scrutiny) हेतु स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है।

पोस्टल बैलेट (रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से) द्वारा संचालित ई-वोटिंग का परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट सहित, 10 जून 2026 को अथवा उससे पूर्व घोषित किया जाएगा। डाले गए मतों की वैधता पर स्क्रूटिनाइजर का निर्णय अंतिम होगा। पोस्टल बैलेट के माध्यम से संचालित ई-वोटिंग के परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट सहित, कंपनी की वेबसाइट https://junglecampsindia.com/postal-ballot/ पर, बीएसई एसएमई लिमिटेड https://www.bsesme.com/ पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। अतिरिक्त रूप से, परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप helpdesk.evoting@cdslindia.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों हेतु Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस में उल्लिखित सभी टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को समझें।

जंगल कैंप्स इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में पेंच जंगल रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
गजेन्द्र सिंह
प्रबंध निदेशक
DIN: 00372112
पता: C-5/14, ग्राउंड फ्लोर, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

दिनांक: 08.05.2026
स्थान: नई दिल्ली

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए'' वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 10/02/2026 को संदर्भ संख्या CB/SAR/13-2/BB/FEB-2026/06 ऋण खाता संख्या: 2406210261454311 निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता अर्द्ध सैनिक प्राइवेट लिमिटेड जरिए डायरेक्टर्स श्रीमती ऊषा आर्या व श्री नवीन कुमार (ऋणी), श्री नवीन कुमार पुत्र श्री भागमल (जमानतदार), श्रीमती ऊषा आर्या पत्नी श्री पूरण चन्द आर्या (जमानतदार/बंधककर्ता), श्री पूरण चन्द आर्या पुत्र श्री दयाल चन्द आर्या (जमानतदार), अध्यम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जरिए डायरेक्टर श्री पूरण चन्द आर्या व श्रीमती ऊषा आर्या (जमानतदार) के लिए ऋण खाता संख्या 2406210261454311 के लिए रूपये 72,27,162/- (रूपये बहत्तर लाख सताइस हजार एक सौ बांसठ मात्र) दिनांक 09/02/2026 तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 05 मई 2026 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार के लिए ऋण खाता संख्या 2406210261454311 के लिए रूपये 74,40,662/- (रूपये चौहत्तर लाख चालीस हजार छः सौ बांसठ मात्र) दिनांक 22/04/2026 तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतानतक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

गैर-कृषि आवासीय सम्पत्ति की वर्तमान व भविष्य की संरचनाओं के साथ सभी अभिन्न अंग, एन्टायर फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति बियरिंग नं. 82, एरिया क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर, छत/टैरस व ऊपर के अधिकार सहित, ब्लॉक-सी मे, पोकेट-7, सेक्टर-8, स्थित रोहिणी आवासीय स्कीम का लेआउट प्लान, रोहिणी, दिल्ली, जो कि श्रीमती ऊषा आर्या के स्वामित्व में है।

सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:-

पूर्व: खुला, **पश्चिम: प्लॉट नं. 87,**
उत्तर: प्लॉट नं. 88, **दक्षिण: प्लॉट नं. 83**

दिनांक: 05 मई 2026
स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

Protium — प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्ववर्ती ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः 7वीं मंजिल, ब्लॉक बी2, फेज–1, निरलॉन नॉलेज पार्क, पहाड़ी गाँव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, कामा इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई– 400063, महाराष्ट्र

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित धारा 13(4) के तहत और परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) (''इसके बाद ''प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड'' के रूप में संदर्भित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 54, 2002) (सरफेसी अधिनियम) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(2) के नियम 3 के साथ पठित के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **दिनांक 28.02.2025** को मांग सूचना जारी कर उधारकर्ताओं **तथागत मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, जिसके मालिक सर्वेश कुमार (बाबू राम के माध्यम से) हैं,** और सह–ऋणदाताः **1. सर्वेश कुमार (बाबू राम के पुत्र), 2. निर्मला शकाया, 3. संतोष कुमार, 4. मनोज कुमार** को ऋण खाता संख्या **GS064LAP2462312** के संबंध में उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि, यानी **25 फरवरी 2025 तक 1,43,78,513/– रुपये (एक करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ तेरह रुपये मात्र), सहित ब्याज**, को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया गया है।

उधारकर्ताओं द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि माननीय अपर जिला मजिस्ट्रेट, आगरा ने ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.08.2025 को केस संख्या 1468/2025 में एक आदेश जारी कर अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त–आगरा को उल्लिखित स्थान पर स्थित गिरवी रखी गई संपत्तियों का कब्जा लेने के लिए नियुक्त किया था। उक्त आदेश का निष्पादन 06.05.2026 को हुआ और पुलिस आयुक्त – आगरा ने 06.05.2026 को ही नीचे वर्णित गिरवी रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया और गिरवी रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को सौंप दिया है।

इसके अतिरिक्त, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड बकाया राशि की वसूली के लिए उक्त संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री की प्रक्रिया में है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी न्यायालय/ट्रिब्यूनल द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है और संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट है और उस पर कोई भार नहीं है। उक्त संपत्ति में रुचि रखने वाले लोग प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर नीलामी शुरू होने पर उसमें भाग ले सकते हैं। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन कुल राशि 25 फरवरी 2025 तक 1,43,78,513/– रुपये (एक करोड़ तैंतालीस लाख अठहत्तर हजार पांच सौ तेरह रुपये मात्र) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही लागत, प्रभार, व्यय की राशि, प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) में उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी टुकड़े और हिस्से, जिनका विवरण इस प्रकार हैः **संपत्ति का विवरणः 1.** मौजा बिचपुरी, तहसील और जिला आगरा में स्थित जमीन का एक प्लॉट, खसरा संख्या 297, क्षेत्रफल 149.32 वर्ग मीटर है। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः श्री संतोष कुमार दुबे का प्लॉट, पश्चिमः 07.50 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास, उत्तरः अन्य की जमीन, दक्षिणः श्रीमती निर्मला का प्लॉट। **संपत्ति का विवरणः 2.** जमीन का एक प्लॉट, खसरा संख्या 297, क्षेत्रफल 156.20 वर्ग मीटर, मौजा बिचपुरी, तहसील और जिला आगरा में स्थित। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैः पूर्वः अन्य की जमीन, पश्चिमः श्रीमती निर्मला शाक्य का प्लॉट, उत्तरः अन्य की जमीन, दक्षिणः 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास। **संपत्ति का विवरणः 3.** जमीन का एक प्लॉट, खसरा संख्या 297, क्षेत्रफल 149.32 वर्ग मीटर, मौजा बिचपुरी, तहसील और जिला आगरा में स्थित। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैः पूर्वः श्री संतोष कुमार दुबे का प्लॉट, पश्चिमः 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास, उत्तरः श्री सर्वेश कुमार का प्लॉट, दक्षिणः 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास। **संपत्ति का विवरणः 4.** जमीन का एक प्लॉट, खसरा संख्या 297, क्षेत्रफल 150.49 वर्ग मीटर, मौजा बिचपुरी, तहसील और जिला आगरा में स्थित। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैः पूर्वः श्री सर्वेश कुमार का प्लॉट, पश्चिमः श्री मनोज कुमार का प्लॉट, उत्तरः अन्य की जमीन, दक्षिणः 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास। **संपत्ति का विवरणः 5.** जमीन का एक प्लॉट, खसरा संख्या 297, क्षेत्रफल 149.29 वर्ग मीटर, मौजा बिचपुरी, तहसील और जिला आगरा में स्थित। संपत्ति की सीमाएँः पूर्वः विक्रेता की जमीन ,पश्चिमः श्री संतोष कुमार का प्लॉट उत्तरः श्री राजेंद्र का प्लॉट दक्षिणः 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास। **संपत्ति का विवरणः 6,** जमीन का प्लॉट, खसरा संख्या 297, क्षेत्रफल 149.34 वर्ग मीटर, मौजा बिचपुरी, तहसील और जिला आगरा में स्थित। संपत्ति की सीमाएँः पूर्वः श्री मनोज कुमार का प्लॉट, पश्चिमः श्री सर्वेश और श्रीमती निर्मला का प्लॉट। उत्तरः दूसरों की जमीन दक्षिणः 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास, इसके साथ ही इससे जुड़े अन्य सभी अधिकार, इमारतें, सुधार और सुखाधिकार भी शामिल हैं।

दिनांकः 06 मई 2026,
कब्जे का स्थानः आगरा, उत्तर प्रदेश।
हस्ताक्षर/–, कृते प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड ,
अधिकृत अधिकारी

भारत गीयर्स लिमिटेड

सीआईएनः L29130HR1971PLC034365
पंजीकृत कार्यालय एवं वर्क्सः 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा) **दूरभाषः** +91 (129) 4288888
ई–मेलः investor@bglindia.com **वैबसाइटः** www.bharatgears.com

कम्पनी सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षण, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 तथा उसके संशोधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी शेयरों जिनके संदर्भ में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हे उक्त नियमावली में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने की नियत तिथि के तीस दिनों की अवधि के भीतर निवेशक शिक्षा व संरक्षण कोष प्राधिकरण (''आईईपीएफ प्राधिकरण'') के डीमैट खाते में अंतरित कर दिया जायेगा।

यह सूचना ऐसे शेयरधारकों के लिए प्रकाशित की गई है जिन्होंने उनके द्वारा धारित कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2018–19 से शुरू लगातार सात वर्षों तक लाभांश ड्राफ्ट का नकदीकरण नहीं कराया है।

उक्त नियमावली के अनुसार ऐसे शेयरों की अंतरण नियत तिथि 04 सितम्बर, 2026 मानी जाएगी। अतएव, कम्पनी अधिकतम 03 अक्टूबर, 2026 तक ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित/क्रेडिट करेगी (ऐसे शेयरों से शुद्ध जिन्हे पूर्व वर्षों के लाभांश के साथ पहले से ही अंतरित कर दिया गाया है)। पुनः नियमावली के अनुसार, ऐसे शेयरों पर उपचरित होने वाले सभी लाभों जैसे बोनस शेयर, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, फ्रैक्शन शेयरों आदि (राइट इश्यू को छोड़कर) भी आईईपीएफ प्राधिकरण के उस डीमैट खाते में क्रेडिट किए जायेंगें।

कम्पनी ने उक्त उद्देश्य से संबंधित शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिक सूचना प्रेषित कर दी हैं। ऐसे शेयरधारकों के नाम और उनके फोलियो नं अथवा डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी से शामिल सूची कम्पनी की वैबसाइट www.bharatgears.com पर अपलोड कर दी गई है।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नामित लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति, निरस्त चैक की प्रति तथा मूल अन्कैश्ड लाभांश ड्राफ्ट के साथ लिखित आवेदन 04 सितम्बर, 2026 को या उससे पूर्व जमा करके, ऐसे शेयरों पर अपृदत्त लाभांश के लिए अपने दावे प्रस्तुत करें, अन्यथा कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में आपके शेयरों को अन्तरित/क्रेडिट करेगी।

कृपया ध्यान रहे कि कोई भी दावेदार जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अन्तरित कर दिया जायेगा वे उक्त नियमावली के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया से शेयरों का दावा कर सकते है।

शेयरधारकों को कोई प्रश्न/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वे एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नामित लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी–1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, ईमेल आईडीः investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com, टेलीफोन नंबरः +91 11 49411000 या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 20 कि.मी., मथुरा रोड, पो.ओ. अमर नगर, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा) से संपर्क कर सकते हैं या हमसे टेलीफोन नंबरः +91 (129) 4288888 पर संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वैबसाइट www.bharatgears.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वैबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

कृते **भारत गीयर्स लिमिटेड**
हस्ता/–
प्रशान्त खत्री
कॉर्पोरेट प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव
एफसीएस – 6096

तिथिः 08 मई, 2026
स्थानः फरीदाबाद

---

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001, दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : डी-8, प्र